संख्या-34/2015/1224 ई-2/तेरह-2015-164/86टीसी

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07 अगस्त,2015

विषय:-मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर द्वारा बाटलिंग लाइसेंस नवीनीकरण मद में जमा धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-144-अल्कोहल/केसर, दिनांक 25 फरवरी,2011, संख्या-जी-52/नौ-281एफ(35)/अल्कोहल/रेडिको, दि018-3-2015 तथा पत्र संख्या-जी-7/नौ-अल्कोहल/163/रिफण्ड/रेडिको, दिनांक 28-5-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-1188/2010 मेसर्स रेडिको खेतान लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दि0 23-8-2010 के अनुपालन में मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर द्वारा वर्ष 2003-04 से वर्ष् 2005-06 की अवधि में एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3ए लाइसेंस के नवीनीकरण के मद में जमा की गई धनराशि क्रमश: रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख मात्र) व रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख मात्र) अर्थात् कुल रू0 12.00 लाख (रूपये बारह लाख मात्र) वापस किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत धनराशि को वापस करने से पहले कोषागार में उसके जमा होने की पुष्टि सम्बन्धित कोषागार से करा ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में जमा की गई धनराशि की वापसी को वर्ष 2015-16 के लेखा शीर्षक "0039-राज्य उत्पाद शुल्क-00-105-विदेशी लिकर एवं स्प्रिट-90-घटाएं वापसियाँ-00" के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,
किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2015/1224(1) ई-2/तेरह-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद प्रभार, मुरादाबाद।
(4) सहायक आबकारी आयुक्त, मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर।
(5) मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।